न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(सुरेश चौधरी, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 28/2024
प्रविष्टि दिनांक 27.05.2024

1.राजेश पुत्र सोहन निवासी ग्राम गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0.
2.मुरली पुत्र सोहन निवासी ग्राम गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0.
3.महावीर पुत्र सोहन निवासी ग्राम गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0.
4.रूपनारायण पुत्र सोहन निवासी ग्राम गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0.
5.अनुराग पुत्र सोहन निवासी ग्राम गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0.
6.कौशल पुत्र सोहन निवासी ग्राम गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0.

.....अपीलांटस

बनाम

नायब तहसीलदार नगरफोर्ट, तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार नगरफोर्ट दिनांक 29.01.2024
मिसल नम्बर 689/2024

उपस्थिति : (1) श्री रोमेन्द्र गूर्जर, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सावंतराम मीना, राजकीय पेरोकार रेस्पोडेण्ट

दिनांक 12.09.2024

निर्णय

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नगरफोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 29.01.2024 के द्वारा अपीलान्टस को भूमि आराजी खसरा नम्बर 342 रकबा 1.00 हैक्टेयर किस्म जमीन चरागाह लगानी वाके ग्राम गुराई, तहसील नगरफोर्ट पर फसल सरसों काश्त कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अपीलांट को भूमि से बेदखल करने, वार्षिक लगान का 50 गुणा जुर्माना तथा 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है। अपीलान्टस ने नायब

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

तहसीलदार नगरफोर्ट के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अपीलान्टस एवं राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया तथा बिना उचित सुनवाई का अवसर दिये उक्त आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91(3) में दिये गये प्रावधानों का अवलोकन नहीं किया तथा सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने के लिए अतिक्रमी के विरूद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित किया जाना आवश्यक होता हैं, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह वर्णन नहीं किया कि अपीलान्टस को गत वर्ष कोनसे मिसल नं0 से तथा कोनसे निर्णय की पालना में बेदखल किया गया। अपीलान्टस का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है हलका पटवारी ने बिना मौके पर गये ही उक्त अतिक्रमण की रिपोर्ट कर दी तथा अपीलान्टस को हलका पटवारी से जिरह का अवसर नहीं दिया गया। अतः उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आराजीयात पर वर्तमान में अपीलान्टस द्वारा अपना कब्जा हटा लिया है और मौके पर अब अपीलान्टस का कब्जा नहीं है। इस संबंध में अपीलान्टस द्वारा शपथ पत्र भी पेश कर दिया है। अतः अपील अपीलाण्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नगरफोर्ट का निर्णय दिनांक 29.01.2024 को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलांटस को विधि अनुसार जरिये नोटिस तलब किया गया है। नोटिस पर अपीलांटस की प्रोपर तामील हुई है व अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहें है। अपीलान्टस ने भूमि आराजी खसरा नम्बर 342 रकबा 1.00 हैक्टेयर किस्म जमीन चरागाह लगानी वाके ग्राम गुराई पर फसल सरसों काश्त कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्टस ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था। अपीलांटस ने पुनः उक्त भूमि पर काश्त कर भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया है। अतिक्रमी सरकारी भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्टस का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावें।

हमने अभिभाषक अपीलान्टस व राजकीय पेरोकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है। अपीलान्टस अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्टस ने अतिक्रमित भूमि से अपना कब्जा हटा लेने व भविष्य में पुनः कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र पेश किया था जिसकी सत्यता की जांच हेतु नायब तहसीलदार नगरफोर्ट से कब्जा संबंधी मौका रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार नगरफोर्ट ने मौका रिपोर्ट पत्र कमांक 1089 दिनांक 14.08.2024 से प्रेषित की जिसमें अंकित किया हैं कि अतिक्रमी द्वारा उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया है, वर्तमान में मौके पर भूमि खाली पड़ी हुई है। उक्त अतिक्रमी द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण एवं कब्जा काश्त नहीं किया हुआ है। अतः ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्टस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नगरफोर्ट के निर्णय दिनांक 29.01.2024 के जरिये की गई दोष सिद्धी एंव अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है, परन्तु अपीलांटस को दी गई सिविल कारावास की सजा अपास्त की जाती है। अपीलांटस को हिदायत दी जाती हैं कि यदि उसके द्वारा भविष्य में उक्त भूमि अथवा अन्य किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जाता हैं तो उसके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जावेगी। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर टोंक

(सुरेश चौधरी)
अति.जिला कलेक्टर,
टोंक